**वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त करना**

2099. **कुमारी कमला कुमारी :**
**श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
**श्री ओम प्रकाश त्यागी :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व कई वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये थे और बाद में इन पदों पर नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से विनियमित की जानी थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अभी तक इस सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग से नहीं कहा गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन पदों पर नियमित रूप से नियुक्तियां करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) जी हां।

(ख) से (घ). इस तथ्य को देखते हुए कि 1-1-1970 तक कार्य को पूरा किया जाना है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्टाफ संबंधी आवश्यकताओं का अब पुनर्मूल्यांकन किया गया है। आयोग द्वारा आवश्यक पद, अब, भर्ती नियमों के अन्तर्गत, विभागीय तरक्की के जरिये भरे जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग से, उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तारीख यथाशीघ्र निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

**वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग**

2100. **कुमारी कमला कुमारी :**
**श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के प्रशासनिक अनुभागों में कितने तकनीकी अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी इस समय गैर-तकनीकी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) अब उन्हें किस प्रकार का कार्य सौंपा गया है ;

(ग) क्या सरकार उन तकनीकी अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के स्थान पर गैर-तकनीकी व्यक्तियों को लगाने तथा उनकी सेवाओं का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करने के प्रश्न पर तुरन्त विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) एक प्रवर अनुसंधान अधिकारी तथा एक तकनीकी सहायक।

(ख) प्रवर अनुसंधान अधिकारी, आदान-संवितरण अधिकारी और बजट, लेखा तथा सामान्य अनुभाग के कार्यभारी के रूप में कार्य कर रहा है। तकनीकी विभाग से लिया गया एक तकनीकी सहायक, प्रशासन विभाग के एक तकनीकी सहायक के साथ, जिसका पद नियमित रूप से स्वीकृत किया गया था, प्रशासनिक कार्य तथा हिन्दी में पत्राचार कर रहा है।

(ग) और (घ). आयोग ने एक गैर-तकनीकी अधिकारी के पद की स्वीकृति का अनुरोध किया है। गैर-तकनीकी अधिकारी का पद स्वीकृत हो जाने पर प्रवर अनुसंधान अधिकारी को उसके कार्य से मुक्त कर दिया जायेगा। कार्य का दबाव कम होते ही अन्य तकनीकी सहायक को उसके कार्य से मुक्त कर दिया जायेगा।